



जिला सहकारी बैंक लि० गजियाबाद

प्रधान कार्यालय : आर.डी.सी. ए- 20, राजनगर पोस्ट बाक्स नं-110, गजियाबाद (उ०प्र०)

दूरभाष-0120-2823955,

E-Mail: info@zsblghaziabad.com

website- www.zsblghaziabad.com



पत्रांक:

ऑडिट / 2025-26

दिनांक :

सनदी लेखाकारो द्वारा "समवर्ती लेखा परीक्षण" हेतु विज्ञप्ति

जिला सहकारी बैंक लि०, गजियाबाद की 33 शाखाओं एवं एक मुख्यालय के लिए समवर्ती अंकेक्षण वर्ष 2025-26 हेतु त्रैमासिक आधार पर समवर्ती लेखा परीक्षक हेतु सनदी लेखाकारों का न्यूनतम दर पर चयन किया जाना है।

इस हेतु सनदी लेखाकार फर्मों के आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं, जिन्हें 5 वर्ष से अधिक का राष्ट्रीयकृत बैंक/सहकारी बैंक का सांविधिक/कंकरेंट ऑडिट करने का अनुभव हो। इच्छुक सनदी लेखाकार फर्म उपरोक्तानुसार बैंक के समवर्ती/अंकेक्षण कार्य के प्रस्ताव हेतु विस्तृत विवरण सहित स्पष्ट आवेदन पत्र दिनांक 05.06.2025 को सायं 5.00 बजे तक जिला सहकारी बैंक लि०, गजियाबाद के मुख्य कार्यालय आर०डी०सी० ए-20 राजनगर गजियाबाद (उ०प्र०) पिन कोड-201001 के पते पर डाक / कोरियर से प्रेषित कर सकते हैं। आवेदन का विस्तृत प्रारूप, कार्य का स्वरूप एवं अन्य जानकारी बैंक मुख्यालय के ऑडिट अनुभाग के अनुभाग अधिकारी (ऑडिट) से अथवा बैंक की [website- www.zsblghaziabad.com](http://www.zsblghaziabad.com) से प्राप्त / डाउनलोड किया जा सकता है।

(संदीप सिंह)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी





जिला सहकारी बैंक लि० गजियाबाद

प्रधान कार्यालय : आर.डी.सी.- 20, राजनगर पोस्ट बाक्स नं-110, गजियाबाद (उ०प्र०)

दूरभाष-0120-2823955

E-Mail: info@zsbghaziabad.com

website- www.zsbghaziabad.com



पत्रांक:

ऑडिट / 2024-25

दिनांक :

समवर्ती लेखा परीक्षा हेतु विज्ञप्ति.-

समवर्ती लेखा परीक्षा हेतु फर्म के लिए निर्धारित नियम एवं शर्तें।

जिला सहकारी बैंक लि०, गजियाबाद उ०प्र० अपनी 33 शाखाओं एवं बैंक मुख्यालय का वित्तीय वर्ष 2025-26 समवर्ती ऑडिट हेतु आवश्यक अर्हतायें जिनका विवरण निम्नवत् है-

1. जिला सहकारी बैंक लि० गजियाबाद अपनी जनपद गजियाबाद, हापुड एवं गौतमबुद्ध नगर स्थिति शाखाओं एवं मुख्यालय का ऑडिट त्रैमासिक आधार पर करना होगा।
2. फर्म का न्यूनतम 05 वर्ष या अधिक का राष्ट्रीकृत/जिला सहकारी बैंक का समवर्ती ऑडिट का अनुभव हों।
3. फर्म आई०सी०ए०आई० पंजीकृत, पार्टनरशिप फर्म में, न्यूनतम एक एफ०सी०ए० तथा एक सी.ए.डिप्लोमा इन इनफार्मेशन सिस्टम ऑडिट (DISA/ISA) qualified होना अनिवार्य हो।
4. ऑडिट कार्य हेतु सम्बन्धित फर्म को बैंक व्यवसाय के आधार पर 300.00 रु प्रति करोड अधिकतम 18,000.00 रु एवं न्यूनतम 8,000.00 रु वार्षिक भुगतान किया जायेगा।
5. ऑडिट रिपोर्ट राष्ट्रीय भाषा हिन्दी में दी जायेगी।
6. चयनित फर्मों द्वारा बैंक के टी.ओ.आर. के अनुरूप अनुबन्ध करना होगा।
7. बैंक में जिन फर्मों द्वारा विगत तीन वर्षों में बैंक का समवर्ती ऑडिट कार्य किया गया है उनके आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
8. चयनित फर्म द्वारा बैंक मुख्यालय का ऑडिट करते समय ट्रेजरी एवं इन्वेस्टमेन्ट का ऑडिट भी किया जायेगा।
9. चयनित फर्मों को बैंक से आर०बी०आई०/नाबार्ड/आर०सी०एस०/डी०सी०बी० के दिशा-निर्देशों के अनुरूप अनुबन्ध करना होगा।
10. जो फर्म बैंक कार्यक्षेत्र में स्थित होंगी, उन्हें वरीयता दी जायेगी।

इच्छुक फर्म दिनांक 05.06.2025 तक किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक बैंक मुख्यालय आर.डी.सी. ए-20 राजनगर, गजियाबाद के डाक पटल पर मोहरबन्द निविदायें प्राप्त करा सकती है। निविदाओं को अस्वीकार एवं निरस्त करने का पूर्ण अधिकार बैंक को होगा।



मुख्य कार्यपालक अधिकारी
जिला सहकारी बैंक लि०
गजियाबाद

ZILA SAHKARI BANK LTD. GHAZIABAD,

Date 31-03-2025

Branch Profile

		Deposits	Advances loan	Business (loans+deposits)
1	HAPUR MAIN(0001	9275.87	4276.83	13552.70
2	WRIGHTGHANJ(0002	2964.96	1725.60	4690.56
3	MODINAGAR MAIN(0003	5502.05	1897.15	7399.20
4	SIMBHAWLI(0004	6169.90	5640.00	11809.90
5	PILAKHWA(0005	5799.03	4071.51	9870.54
6	DADRI(0006	4723.55	6141.58	10865.13
7	GARH Mukteswar(0007	5939.42	8494.03	14433.45
8	SAHIBABAD(0008	1767.00	39.09	1806.09
9	MURADNAGAR(0009	6388.28	3637.81	10026.09
10	HAPUR EVENING(0010	7456.50	516.56	7973.06
11	HAPUR MANDI(0011	4137.77	2066.01	6203.78
12	RAJNAGAR(0012	8357.81	3148.39	11506.20
13	SURYANAGAR(0013	1582.41	61.02	1643.43
14	NAGARPALIKA(0014	3478.53	442.51	3921.04
15	KUCHESAR(0015	4752.29	3345.84	8098.13
16	DHAULANA(0016	5271.67	5813.96	11085.63
17	BAHADURGARH(0017	8787.95	2579.68	11367.63
18	BABUGARH(0018	5658.48	1993.61	7652.09
19	MUDAFRA(0019	2801.99	3915.45	6717.44
20	CHHAPROULA(0020	3519.66	1040.20	4559.86
21	NOIDA-31(0021	7012.50	447.36	7459.86
22	MODINAGAR EVE(0022	3146.18	225.30	3371.48
23	GZB EVENING(0023	2595.11	166.70	2761.81
24	SURAJPUR(0024	1511.59	583.88	2095.47
25	SURANA(0025	1751.09	21.42	1772.51
26	FREE GUNJ(0026	4855.31	3289.62	8144.93
27	GOVINDPURI(0027	3414.60	1456.19	4870.79
28	NOIDA-66(0028	3413.90	367.03	3780.93
29	HEAD OFFICE(0029	13.73	38204.46	38218.19
30	BHOJPUR(0030	4158.56	1726.18	5884.74
31	VIJAYNAGAR(0031	3137.90	98.26	3236.16
32	KHORA(0032	1774.12	190.50	1964.62
33	RAVLI KALAN(0033	2260.55	1753.83	4014.38
34	LONI(0034	2498.08	810.26	3308.34
	Total	145878.34	110187.81	256066.15



समवर्ती लेखा परीक्षा वित्तीय वर्ष 2025-2026

अनुबन्ध पत्र

1. बैंक द्वारा आवंटित शाखाओं का लेखा वर्ष 2025-26 (दिनांक 01.04.2025 से 31.03.2026 तक) का कान्करेंट आडिट का कार्यकाल एक वर्ष का होगा जो कि निर्धारित समयान्तर्गत सम्पादित करना होगा।
 2. आडिट के समय/बाद में बैंक की सूचनाओं को गोपनीयता का वचन देना होगा एवं पैन ड्राइव, हार्ड डिक्स इत्यादि का प्रयोग निषेध होगा। इसके लिए रु 100.00 के स्टाम्प पर शपथ पत्र देना होगा।
 3. आडिट का टूर प्रोग्राम व आडिट सम्पादित करने वाले प्रतिनिधियों का पूर्ण विवरण (नाम, मोबाइल नं०, प्रमाणित फोटो, हस्ताक्षर एवं आई० डी०) आडिट करने से पूर्व बैंक मुख्यालय आडिट विभाग को समय से उपलब्ध कराना होगा, ताकि आडिट विभाग सम्बन्धित शाखाओं को समय से सूचित कर सके तथा मासिक/त्रैमासिक आडिट के लिए शाखाओं पर जाने से पूर्व मुख्यालय सूचित करना होगा।
 4. आडिट रिपोर्ट के मुख्य पृष्ठ पर शाखा का नाम, सीए का नाम, फर्म का नाम, मास/त्रैमास, आपत्तियों की संख्या, विजिट रिपोर्ट, तिथियों का विवरण। बैंक द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों का संज्ञान लेते हुए आडिट आख्या में समायोजित करना होगा।
 5. फर्मों को वर्ष दौरान आवंटित की गयी शाखाओं की आडिट नोट (आख्या) असंतोषजनक, गुणवत्ता निम्न श्रेणी की पायी जाती है तो फर्मों के अनुबन्ध को निरस्त करने का अधिकार बैंक के पास सुरक्षित रहेगा।
 6. अनुबन्ध होने के बाद वर्ष दौरान फर्म किये गये अनुबन्ध से बिना एक माह पूर्व नोटिस के हटती है तो किये गये कार्य का कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
 7. फर्मों को शाखाओं पर आडिट कार्य सम्पादित करने हेतु दो Login ID बैंक द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी, जिसका स्थान्तरण शाखा प्रबंधक के द्वारा डाटा सेंटर से कराया जायेगा।
 8. कान्करेंट आडिट करने के आडिट रिपोर्ट हिन्दी भाषा में प्रत्येक मास/त्रैमास की समाप्ति के बाद के अगले माह की 15 तारीख तक मुख्यालय के आडिट अनुभाग को 02 प्रतियों में शाखावार प्रस्तुत करनी होंगी एवं साफ्ट कॉपी शाखाओं/आडिट अनुभाग की ई-मेल पर प्रेषित करनी होगी। मुख्यालय को प्राप्त हार्ड कॉपी की तिथि मान्य होगी।
 9. कान्करेंट आडिट रिपोर्ट निर्धारित समय में उपलब्ध न कराने की स्थिति में बैंक द्वारा आडिट फीस में 10 प्रतिशत की कटौती कर ली जायेगी, तत्पश्चात अगले माह में यह कटौती बढ़कर 20 प्रतिशत हो जायेगी। अग्रेतर आप द्वारा प्रस्तुत कान्करेंट आडिट रिपोर्ट में परीक्षणोंपरान्त तथ्यात्मक त्रुटि पाये जाने अथवा किसी ट्रांजेक्शन की रिपोर्टिंग में अनदेखी किए जाने पर आपको देय आडिट शुल्क में कटौती करने/रोकने/भुगतान निरस्त करने का अधिकार बैंक को होगा। अनुबन्ध के अनुसार ऑडिट न करने पर ऑडिट फीस के भुगतान के सम्बन्ध में निर्णय ऑडिट कमेटी की बैठक में लिया जायेगा।
 10. आडिट फर्म द्वारा शाखाओं को प्रेषित ऑडिट आख्या का शाखा द्वारा किए गये अनुपालन पर स्पष्ट टिप्पणी/मन्तव्य अंकित करेंगे कि शाखा द्वारा किया गया परिपालन सन्तोषजनक किया गया है कि नहीं। असन्तोषजनक आपत्तियों को आगामी ऑडिट आख्या में स्पष्ट रूप में अंकित करते हुए रिपोर्ट के साथ, संतोषजनक प्रमाण पत्र भी जारी करेंगे, जिसमें आपत्तियों की आख्या सन्तोषजनक व असन्तोषजनक आख्या का पूर्ण विवरण दिया जायेगा। यदि शाखा प्रबंधक/अनुभाग अधिकारी द्वारा पूर्व में प्रेषित आडिट आपत्तियों का परिपालन नहीं करते हैं, उसकी सूचना लिखित रूप में आडिट अनुभाग को दी जाये।
 11. आपके द्वारा बैंक को प्रस्तुत किए गये कान्करेंट आडिट रिपोर्ट से सम्बन्धित किसी बिन्दु पर वार्ता अथवा अन्य किसी परामर्श हेतु अथवा बैंक की आडिट कमेटी की बैठक या अन्य बैठक हेतु बैंक द्वारा आमंत्रित करने पर आपको अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा। इसके लिए अलग से कोई धनराशि देय नहीं होगी।
- बैंक मुख्यालय द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक/भारतीय स्टेट बैंक को प्रतिमाह/छमाही तथा उक्त संस्थाओं द्वारा समय-समय पर किए गये संशोधन के अनुसार जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना



- 2014 (डीईएफ) के अन्तर्गत 10 वर्ष से अधिक समय की अदायगी जमा राशियों से सम्बन्धित प्रेषित की जाने वाली विवरणियों को आपकी फर्म द्वारा हस्ताक्षर कर प्रमाणित करना होगा। इसके लिए कोई धनराशि अलग से देय न होगी।
13. आडिट करते समय यदि कोई अनियमितता प्रकाश में आती है तो उसका उल्लेख गम्भीर/अति गम्भीर आपत्ति के रूप में रिपोर्ट में अंकित करते हुए, अलग से पत्र आडिट अनुभाग को तत्काल प्रेषित करना होगा।
 14. शाखा पर सभी निक्षेप खाते बचत व्यक्तिगत/संस्था, चालू व्यक्तिगत/संस्था, सावधि व्यक्तिगत/संस्था/आवर्ती खोले गये खातों के फार्म पूर्ण भरे गये हैं या नहीं और कम्प्यूटर में सभी पैरामीटरों को पूर्ण किया गया है अथवा नहीं, खाते खोलते समय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गये केवाईसी/सीकेवाई के मानकों का परिपालन, देय ब्याज का परीक्षण कर अपने आख्या में उल्लेख करना होगा। शाखा पर खोले गये समस्त स्टाफ खातों की विवरण सहित आख्या प्रस्तुत करना होगा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए 1% अतिरिक्त लाभ प्रदान करने वाले स्टाफ कर्मचारी से नियमानुसार प्रमाण पत्र लिया गया है या नहीं।
 15. वित्तीय वर्ष में खोले गये सभी खातों की KYC की जांच/बैंक पत्रांक सी-125/मु.का./आडिट/दिनांक 17.08.2022 को शत प्रतिशत परिपालन किया जा रहा है या नहीं।
 16. सावधि/आरडी के विरुद्ध दिए गये ऋणों व सीसी लिमिट, बन्धक की गयी है अथवा नहीं कम्प्यूटर में लियन मार्क, अंकित मूल्य का 85 प्रतिशत से अधिक ऋण तो नहीं दिया गया है। एफडी पर रसीदी टिकट लगा कर जमाकर्ता के हस्ताक्षर है या नहीं, शाखा प्रबंधक द्वारा ऋण प्रार्थना पत्र पर स्वीकृत ऋण की धनराशि अंकित की गयी है या नहीं, संयुक्त नाम से एफडी पर एक व्यक्तिगत को ही ऋण अथवा समय पूर्व भुगतान तो नहीं किया गया, एफडी पर दिए जाने वाले ब्याज से 1 प्रतिशत अधिक ब्याज लिया गया है या नहीं, बन्धक एफडी के नवीनीकरण के बाद उस पर लगे ऋण पर ब्याज परिवर्तन किया गया या नहीं। बन्धक एफडी की अवधि समाप्ति पर ऋण के समायोजन किया या नहीं ऐसी अवशेष एफडी का तिथि सहित उल्लेख करें। प्रतिभूतियों को भौतिक सत्यापन किया जाये तथा अभिरक्षा की स्थिति का उल्लेख किया जाए। प्राप्त ब्याज का परीक्षण कर उल्लेख किया जाए। विलम्ब से समायोजन करने पर उत्तरदायी कर्मचारी का नाम अवधि समाप्ति के बाद लिए गये ब्याज का विवरण सहित उल्लेख किया जाये। समय पूर्व एफडी के भुगतान पर लागू ब्याज दर से 1 प्रतिशत कम कर भुगतान किया गया है या नहीं।
 17. शाखा द्वारा सावधि खातों पर दिए गये 40000.00 एवं वरिष्ठ नागरिक को 50000.00 रु0 पर टीडीएस काटा गया या नहीं पैन नम्बर न देने वालों पर 20 प्रतिशत टीडीएस की कटौती की गयी या नहीं, फार्म 15 जी/एच लिए गये या नहीं, लिए गये 15^{जी}/15एच फार्म को ग्राहकों को प्राप्ति का रिकार्ड रखा गया है या नहीं, प्राप्त 15 जी /15 एच को आई0टी0 पोर्टल पर अपलोड किए जाने की स्थिति, आख्या में उल्लेख किया जाये।
 18. ग्राहकों के टीडीएस कटौती का नियमानुसार जमा कर आवश्यक रिटर्न समयान्तर्गत भरे गये हैं या नहीं 15^{जी}/एच को आयकर प्रेषण की स्थिति का स्पष्ट उल्लेख किया जाये।
 19. शाखा द्वारा नियमानुसार जीएसटी की कटौती की जा रही है या नहीं तथा मुख्यालय/शीर्ष स्तर से निर्गत परिपत्रों के अनुसार पालन किया जा रहा है या नहीं।
 20. शाखा द्वारा वर्ष दौरान जारी किए गये ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर रजिस्टर में चढ़ाये गये उन पर निर्धारित चार्जज व जीएसटी लिया या नहीं, निरस्त किए गये ड्राफ्ट, पे-ऑर्डर वाउचर के साथ संलग्न है या नहीं, वाह्य चेक कलेक्शन पर नियमानुसार चार्जज लिया गया अथवा नहीं की जाँच की जाए।
 21. शाखा द्वारा विविधीकरण योजनान्तर्गत वितरित ऋण खातों की एवं 25000.00 से ऊपर सीसी लिमिट, भवन ऋण आदि पर कोलेटरल सिक्योरिटी ली, की जाँच, भवन भूखण्ड मोरगेज कर रजिस्ट्री की मूल प्रति एवं वितरित ऋण की प्रतिदान पत्रावली में रखी गयी अथवा नहीं, व अन्य वितरित ऋण के डाक्यूमेंट की जाँच की जाये। मोरगेज रजिस्टर की प्रविष्टियों की जाँच प्रोसेसिंग फीस ली गयी अथवा नहीं, भवन ऋण में स्वीकृत ऋण का एक प्रतिशत अपफ्रंट फीस जमा करायी गयी है अथवा नहीं।



शाखा पर लगे ऋणों पर लगाये गये ब्याज की शतप्रति जाँच, जमा राशियों पर दिये गये ब्याजों की 30% जाँच करनी होगी, ओवर ड्यू ऋण व नियमानुसार एनपीए की स्थिति का आडिट नोट में उल्लेख किया जाये।

22. विविध लेनदार, विविध देनदार की स्थिति का उल्लेख एवं समायोजन न होने का कारण लिखा जाये विविध व्यय के प्रमाणक स्वीकृति की स्थिति तथा प्रमाणक पर प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर हैं या नहीं जाँच करें, उल्लेख करें।
23. कैश चाबी का हस्तान्तरण नियमानुसार हो रहा है या नहीं।
24. कम्प्यूटर में कर्मचारी/स्टाफ की आईडी/पासवर्ड से कोई अन्य कर्मचारी तो कम्प्यूटर पर कार्य नहीं कर रहा है।
25. कैश इन हैड की स्थिति का अवलोकन करते हुए लगातार तीन दिन से अधिक शाखा पर मुख्यालय द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक कैश रखा गया तो उस पर टिप्पणी अवश्य की जाये।
26. वेतनभोगी समितियों के सदस्यों के खाते कम्प्यूटर में खोले गये हैं अथवा नहीं, ऋण वितरण एवं वसूली की प्रविष्टियां हो रही हैं अथवा नहीं वेतनभोगी समितियों के बकायेदार सदस्यों का विवरण लागू, ब्याज दर की जाँच की जाये।
27. शाखाओं पर प्रत्येक कार्यदिवस के जमा, भुगतान एवं अन्तरण वाउचरों की जाँच शत प्रतिशत की जायेगी। साथ ही सिक्योरिटीज (एनएससी/केवीपी/एफडी/एफडीआर इत्यादि) का भौतिक सत्यापन अवश्य कर, रिपोर्ट में उल्लेख किया जाना आवश्यक है।
28. पैक्स—(PACS Primary Agriculture Credit Society)
 - 1— शाखा पर पैक्स समिति द्वारा प्रेषित किसान क्रेडिट कार्ड पत्रावली सी-42 के परिपालन पर स्वीकृति रजिस्टर की स्थिति।
 - 2— अल्पकालीन ऋण खाते पर लगे ऋण के सापेक्ष हिस्सा जमा की जाँच करें।
 - 3— उर्वरक खाते की स्वीकृत ऋण सीमा के सापेक्ष 15 प्रतिशत मार्जिन मनी की सावधि की जाँच की जायेगी।
 - 4— समिति द्वारा शाखा के माध्यम से प्रेषित भारत/राज्य सरकार के द्वारा प्रेषित ब्याज अनुदान की स्थिति/जाँच का उल्लेख किया जाये तथा दावों के सापेक्ष प्राप्त धन राशि को समय में पैक्स खातों में स्थानान्तरण की स्थिति पर उल्लेख/जाँच की जायेगी।
 - 5— शाखा द्वारा उर्वरक हाईपोथिकेशन खातों से किए गये गुडफार पेमेंट के लिए प्राप्त पाक्षिक/मासिक स्टेटमेंट, की जाँच की जायेगी।
29. शाखा पर लॉकर कैबिनेट, इश्यू अवशेष लॉकर्स, किराये अवशेष की स्थिति पर उल्लेख किया जाये तथा अवशेष लॉकर्स की चाबियों को सील कराकर रखा गया है या नहीं, लॉकर्स खोलते समय नियमानुसार प्रविष्टि कर हस्ताक्षर मिलान किया जा रहा है या नहीं का विस्तृत आख्या दी जाये।
30. मृतक खाता धारकों के दावे की दस्तावेजों की जाँच की जाये। भुगतान निर्देशानुसार दावा राजिस्टर तैयार किया गया है या नहीं।
31. दैनिक वाउचरों की जाँच/डेबुक सप्लीमेंटी की शाखा प्रबंधक द्वारा जाँच कर हस्ताक्षर कर उसके वाउचरों के साथ संलग्न किए जाने की स्थिति/वाउचरों को रजिस्टर में अंकित करने की स्थिति/वाउचरों के रख-रखाव व आडिट से सम्बन्धित सभी पहलुओं का आवश्यकतानुसार परीक्षण कर आख्या में उल्लेखित करें।
32. शाखा के डेड स्टॉक, स्टेशनरी का सत्यापन अभिलेखों में अंकित प्रविष्टियों से कर, आडिट आख्या में उल्लेख करें।
33. फर्मों को 100.00 के स्टाम्प पर समवर्ती अंकेक्षण अनुबन्ध (TOR) को अनुबंध करना होगा।
34. फर्मों के बिलों का भुगतान शाखाओं द्वारा किये गये परिपालन पर टिप्पणी व प्रमाण-पत्र को आडिट कमेटी के सम्मुख कर लिये गये निर्णय के पश्चात किया जायेगा।



35. फर्मों को शाखा पर उपलब्ध होकर आडिट कार्य सम्पादित किया गया इसका प्रमाण-पत्र निर्धारित प्ररूप पर शाखा प्रबन्धक के हस्ताक्षर के साथ फर्म प्रतिनिधि के हस्ताक्षर के फर्म ऑनर के हस्ताक्षर कर मासिक/त्रैमासिक आडिट के साथ मुख्यालय जमा कराना होगा।
36. बैंक द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों का संज्ञान लेते हुए आडिट आख्या में समायोजित करना होगा।
37. शाखा स्तर पर आय-व्यय खातो से भुगतान की जांच पर टिप्पणी।
38. शाखा पर निक्षेप केन्द्र(मिनी बैंक) के नियमित स्टेटमेण्ट पर टिप्पणी तथा शाखाओं द्वारा मिनी बैंक की धनराशि का विनियोजन शाखा पर निम्न विवरण के अनुसार किया जा रहा है या नहीं पर टिप्पणी:-
- A. मिनी बैंक की कुल जमा का 25 प्रतिशत सावधि जमा में।
- B. 3 प्रतिशत अर्थात् अंकन 25000.00 रुपये अधिकतम जो भी कम हो। मिनी बैंक के कैश इन हैण्ड के रूप में रखा जायेगा।
- C. अवशेष धनराशि अर्थात् 72 प्रतिशत धनराशि विशेष निक्षेप जमा खाते में रखी जायेगी तथा मिनी बैंक के दैनिक खाताधारकों के लेन-देन हेतु मिनी बैंक की सावधि पर लिमिट बनाकर दैनिक लेन-देन कराया जा रहा है या नहीं पर टिप्पणी।

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

प्रथम पक्ष
सील सहित

द्वितीय पक्ष
सील सहित

